

भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	वन मंडल सतना के वन परिक्षेत्र मझगाँवा के ग्राम पिपरीटोला वनक्षेत्र के कक्ष क्र. पी.एफ.-870 (नया) के रकबा 4.600 हेक्टर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से लेटराइट, व्हाइट क्ले व ओकर खनिज उत्खनन नवीनीकरण -आवेदक श्री शरद कुमार बंसल, मु.पो. जैतवारा जिला सतना को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

तिथि: 04 / 09 / 2018
स्थान: भोपाल

Signature
04/09/18

(सुनील अग्रवाल)

भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल